[illegible]गण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 21.9.22 के अनुसार निर्णय किए जाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं पक्षकारान की आपसी सहमति/राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर विधि निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर जारी हो। पत्रावली में स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत होने पर पर्चा डिक्री जारी हो।

17.10.22

निर्णय दिनांक 14/10/22 की पालना में वकील वादी द्वारा पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए गये। अतः पर्चा डिक्री जारी की जाती है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। पत्रावली नत्थीबद्ध हो। पत्रावली संस्था पंजिका के क्रम से कम की जाकर निर्णय की सूची में शामिल हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार मीना, R.A.S

वाद संख्या 75/2022

अर्न्तगत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. राजमन्द्र सिंह पुत्र श्री हरनेक सिह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली राठान 4 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. छिन्दर सिंह पुत्र श्री हरनेक सिह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली राठान 4 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. बलतेज सिंह पुत्र श्री हरनेक सिह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली राठान 4 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर .... वादीगण

व ना म

1. अवतार सिंह पुत्र श्री केहर सिंह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली राठान 4 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. बलवीर सिंह पुत्र श्री केहर सिंह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली राठान 4 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. सुरजीत कौर पत्नी श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भिण्डर रोड़, जलालाबाद पूर्वी, तहसील धर्मकोट जिला मोगा (पंजाव)
4. गुरजण्ट सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भिण्डर रोड़, जलालाबाद पूर्वी, तहसील धर्मकोट जिला मोगा (पंजाव)
5. भरपूर सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भिण्डर रोड़, जलालाबाद पूर्वी, तहसील धर्मकोट जिला मोगा (पंजाव)।
6. पाल सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भिण्डर रोड़, जलालाबाद पूर्वी, तहसील धर्मकोट जिला मोगा (पंजाब)
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। .. प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री संजय जनवेजा	(अधिवक्ता वादीगण)
	श्री रोबिन गुम्बर	(प्रति. संख्या 1 ता 6)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–7)

दिनांक 14 अक्टूबर, 2022

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादीगण के पूर्वज श्री केहरसिंह के नाम से वाके चक 7 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर में लगभग 25–00 बीघा नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल थी। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा 3 ता 6 के पिता श्री सरजीत सिंह को बतौर उत्तराधिकारी प्राप्त हुई तथा वर्तमान में परिवार के सदस्यों के नाम से वाके चक 7 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 114/86 का मु0 न0 54 की 1.087 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 5/117 का मुरब्बा नम्बर 55 की 1.139 हैक्टेयर कृषि भूमि, खाता संख्या 91/86 का मुरब्बा नम्बर 36 व 54 व 55 की 8.072 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, खाता संख्या 89/117 का मुरब्बा नम्बर 55 की 0.632 हैक्टेयर कृषि भूमि, खाता संख्या 111/73 का मुरब्बा नम्बर 64 की 1.644 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। उक्त सम्पत्ति प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की पैतृक सम्पत्ति है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण ने पारस्परिक सहमति से उक्त जद्दी जायदाद का घरू मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा पर पिछले काफी समय से काबिज चले आ रहें हैं तथा काश्त कर रहें है तथा मौका पर वादीगण की फसले खड़ी हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा वादीगण से कहा हुआ है कि जब भी तुम लोग चाहोगें, तुम्हारे हिस्सा की भूमि तुम्हारे नाम करवा देगें। कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 से कहा कि वह वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 01.06.2022 को उन्होने सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया है। यही वाद कारण है। इस प्रकार वादीगण द्वारा भूमि, जो वाद पत्र में वर्णित है में से वादीगण को उनके हिस्सा अनुसार खातेदार घोषित किया जाने व पृथक से लगान कायम करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया। वाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 (खाता संख्या 114/86, 5/117, 91/86, 89/117, 111/73 प्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई।

14.10.22

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व 5, 6 स्वंय तथा प्रतिवादी संख्या 4 बत्यारे आम पाल सिंह के माध्यम से उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 7 राज्य पक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा राजीनामा दिनांक 21.09.2022 प्रस्तुत किया। वादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा के द्वारा तथा प्रतिवादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर के द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से दस्तावेज मुखत्यारनामा की प्रति प्रस्तुत की गई, वादी एवं प्रतिवादीगण के पहचान के दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई। अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया।

प्रति. सं. 7 राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वाद प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 21.09.2022 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 (खाता संख्या 114/86, 5/117, 91/86, 89/117, 111/73 प्रमाणित प्रतियों के आधार पर एवम् पारिवारिक बंटवारा/राजीनामा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त संयुक्त खाता की भूमि का बंटवारा करवाने के अधिकारी है।

आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 21.09.2022 के अनुसार वादीगण (1) राजमन्द्र सिंह, छिन्दर सिंह व बलतेज सिंह पि0 श्री हरनेक सिंह (बहिस्सा बराबर) को चक 7 एच एच का खाता संख्या 111/73 का मुरब्बा नम्बर 64 की 1.644 हैक्टेयर कृषि भूमि का, (2) वादीगण राजमन्द्र सिंह (0.253 है0), छिन्दर सिंह (0.253 है0) व बलतेज सिंह (0.126 है0) पि0 श्री हरनेक सिंह को चक 7 एच एच का खाता संख्या 89/117 का मुरब्बा नम्बर 55 की 0.632 हैक्टेयर कृषि भूमि का (जिसमें राजमन्द्र सिह का हिस्सा 0.253 है0, छिन्दर सिंह का हिस्सा 0.253 है0 तथा बलतेज सिंह का हिस्सा 0.126 है0), (3) प्रतिवादी संख्या 1 अवतार सिंह पुत्र श्री केहर सिंह को वाके चक 7 एच एच खाता संख्या 91/86 का मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13/1, 19, 20, 21, 22 की 2.656 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 5/117 का मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 13/2, 14, 17, 18 की 0.886 हैक्टेयर भूमि का, (4) प्रतिवादी संख्या 2 बलवीर सिंह पुत्र श्री केहर सिंह को वाके 7 एच एच का खाता संख्या 91/86 का मुरब्बा नम्बर 54 की 2.051 है0 व मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 3 की 0.253 है0, खाता संख्या 5/117 का मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 16/2 व किला नम्बर 25/1 की 0.253 है0 तथा खाता संख्या 114/86 का मुरब्बा नम्बर 54 की 1.087 हैक्टेयर कृषि भूमि का तथा (5) प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 सुरजीत कौर पत्नी श्री सरजीत सिंह, गुरजण्ट सिंह, भरपूर सिंह व पाल सिंह पि0 सरजीत सिंह को बहिस्सा बराबर वाके 7 एच एच का खाता संख्या 91/86 का मुरब्बा नम्बर 36 की 3.112 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग-अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 14 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया।

Sd/- 14.10.2022

मनोज कुमार मीना
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

डिक्री

(Order 20 Rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार मीना, R.A.S.

1. राजमन्द्र सिंह पुत्र श्री हरनेक सिह
2. छिन्दर सिंह पुत्र श्री हरनेक सिह
3. बलतेज सिंह पुत्र श्री हरनेक सिह

जाति जटसिख निवासीगण 4 एल एल ढींगावाली राठान तह. व जिला श्रीगंगानगर .... वादीगण

ब ना म

1. अवतार सिंह पुत्र श्री केहर सिंह
2. बलवीर सिंह पुत्र श्री केहर सिंह

जाति जटसिख निवासीगण ढींगावाली राठान 4 एल एल

3. सुरजीत कौर पत्नी श्री सरजीत सिंह
4. गुरजण्ट सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह
5. भरपूर सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह ।
6. पाल सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह

जाति जटसिख निवासी भिण्डर रोड़, जलालाबाद पूर्वी, तहसील धर्मकोट जिला मोगा (पंजाब)

7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। .. प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (अधिवक्ता वादीगण)
श्री रोबिन गुम्बर (प्रति. संख्या 1 ता 6)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–7)

वाद संख्या 75 / 2022

अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक, श्रीगंगानगर द्वारा अधिवक्ता वादीगण श्री संजय जनवेजा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 श्री रोबिन गुम्बर व पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 7 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि:–

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 21.09.2022 के अनुसार (1)वादीगण राजमन्द्र सिंह, छिन्दर सिंह व बलतेज सिंह पि0 श्री हरनेक सिंह (बहिस्सा बराबर) को चक 7 एच एच का खाता संख्या 111/73 का मुरब्बा नम्बर 64 की 1.644 हैक्टेयर कृषि भूमि का, (2)वादीगण राजमन्द्र सिंह (0.253 है0), छिन्दर सिंह (0.253 है0) व बलतेज सिंह (0.126 है0) पि0 श्री हरनेक सिंह को चक 7 एच एच का खाता संख्या 89/117 का मुरब्बा नम्बर 55 की 0.632 हैक्टेयर कृषि भूमि का (जिसमें राजमन्द्र सिह का हिस्सा 0.253 है0, छिन्दर सिंह का हिस्सा 0.253 है0 तथा बलतेज सिंह का हिस्सा 0.126 है0), (3) प्रतिवादी संख्या 1 अवतार सिंह पुत्र श्री केहर सिंह को वाके चक 7 एच एच खाता संख्या 91/86 का मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13/1, 19, 20, 21, 22 की 2.656 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 5/117 का मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 13/2, 14, 17, 18 की 0.886 हैक्टेयर भूमि का (4) प्रतिवादी संख्या 2 बलवीर सिंह पुत्र श्री केहर सिंह को वाके 7 एच एच का खाता संख्या 91/86 का मुरब्बा नम्बर 54 की 2.051 है0 व मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 3 की 0.253 है0, खाता संख्या 5/117 का मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 16/2 व किला नम्बर 25/1 की 0.253 है0 तथा खाता संख्या 114/86 का मुरब्बा नम्बर 54 की 1.087 हैक्टेयर कृषि भूमि का तथा (5) प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 सुरजीत कौर पत्नी श्री सरजीत सिंह, गुरजण्ट सिंह, भरपूर सिंह व पाल सिंह पि0 सरजीत सिंह को बहिस्सा बराबर वाके 7 एच एच का खाता संख्या 91/86 का मुरब्बा नम्बर 36 की 3.112 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

अतः डिक्री जारी की जाती है। रूपये ....शून्य....वास्त....शून्य.....खर्चा इस प्रकरण पर हुए व्यय मय ब्याज... शून्य....दर रूपये.....शून्य.... आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को जारी की गई।

मनोज कुमार मीना
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वाद पत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदन पत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	00.00

मनोज कुमार मीना
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर एव
...दण्डनायक